न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1014 दिनांक 29/04/2022

प्रार्थीगण :-
1.कुम्भाराम पुत्र भगवानाराम
2.खींयाराम पुत्र लालाराम,
जातियान जाट, निवासी भाखरपुरा
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-
1.आसूराम पुत्र पूराराम 2.पेमाराम पुत्र रूपाराम 3.भोमाराम पुत्र खरथाराम 4.हनुमानराम 5.मेहाराम पुत्र मूलाराम 6.अमेदाराम 7.कोशलाराम पि.देराजराम, जाति जाट 8.भागचन्द 9.सदराम 10.विरधाराम पि. पोकरराम 11.लाधुराम पुत्र रूपाराम 12.नेनाराम पुत्र खेताराम, जाति मेगवाल, निवासी भाखरपुरा तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 75/2019 दिनांक : **29.04.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र चौहटन के मौजा भाखरपुरा के खेत खसरा सं. 473/409 रकबा 10.10 बीघा, खसरा सं. 475/409 रकबा 17.13 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी गाँव भाखरपुरा एवं उपरला की शरहद पर होने के कारण उपरोक्त गाँवों के सम्बन्धित पटवारियों को रेकर्ड सहित नेखमबंदी के दौरान मौके पर उपस्थित होने के लिये पाबन्द करे।

उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1015 to 1018 दिनांक 29/04/2022
प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण कुम्भाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण आसूराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 17:00:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन